



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/श्रावण 29, 1931

No. 464]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 4 के उप-नियम (6) में,—

(क) “रेलगाड़ियों द्वारा” से प्रारंभ होने और “आने और जाने के हकदार होंगे” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर “मितव्ययी श्रेणी वायु भाड़े के हकदार होंगे” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) “दो सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “पाँच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10(2)/2003-सी पी यू]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किए गए :

1. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 14-8-1991
2. सा.का.नि. 800(अ) तारीख 30-12-1993
3. सा.का.नि. 522(अ) तारीख 22-6-1994
4. सा.का.नि. 605(अ) तारीख 30-8-1995
5. सा.का.नि. 759(अ) तारीख 21-11-1995
6. सा.का.नि. 95(अ) तारीख 27-2-1997
7. सा.का.नि. 88(अ) तारीख 24-2-1998
8. सा.का.नि. 175(अ) तारीख 5-3-2004
9. सा.का.नि. 50(अ) तारीख 1-2-2005
10. सा.का.नि. 64(अ) तारीख 10-2-2005
11. सा.का.नि. 67(अ) तारीख 11-2-2005
12. सा.का.नि. 273(अ) तारीख 5-5-2006
13. सा.का.नि. 462(अ) तारीख 4-8-2006
14. सा.का.नि. 637(अ) तारीख 13-10-2006 और
15. सा.का.नि. 380(अ) तारीख 2-6-2009

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2009

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Second Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (6) of rule 4 of the Consumer Protection Rules, 1987,—

(a) for the portion beginning with “avail first class or two-tier air conditioned” and ending with “journeys provided the distance being travelled is 1000 kms or above”, the words “economy class air fare” shall be substituted;

(b) for the letters and figures “Rs. 1000”, the words “Rupees two thousand” shall be substituted;

(c) for the letters and figures “Rs. 200”, the words “Rupees five hundred” shall be substituted.

[F.No. 10(2)/2003-CPU]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number GSR 398(E), dated 15th April, 1987 and subsequently amended *vide* notification numbers :

1. GSR 533(E) dated 14-8-1991
2. GSR 800(E) dated 30-12-1993
3. GSR 522(E) dated 22-6-1994
4. GSR 605(E) dated 30-8-1995
5. GSR 759(E) dated 21-11-1995
6. GSR 95(E) dated 27-2-1997
7. GSR 88(E) dated 24-2-1998
8. GSR 175(E) dated 5-3-2004
9. GSR 50(E) dated 1-2-2005
10. GSR 64(E) dated 10-2-2005
11. GSR 67(E) dated 11-2-2005
12. GSR 273(E) dated 5-5-2006
13. GSR 462(E) dated 4-8-2006
14. GSR 637(E) dated 13-10-2006 and
15. GSR 380(E) dated 2-6-2009.